Order Sheet [Contd]

Case No....................of 202....................

Date of Order or Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders Where necessary
आर.सी.टी. 329/23 10.05.2025	**प्रकरण आज दिनांक 10.05.2025 को लोक अदालत की खंडपीठ क्रमांक 11 के समक्ष पेश।** राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित। अभियुक्त/गण द्वारा श्री प्रदीप बुन्देला अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण राजीनामा आवेदन पर विचार हेतु नियत है। फरियादी/आहत किशोर पिता कोदरिया द्वारा पूर्व से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन संयुक्त रूप से आपसी राजीनामा लिखित एवं हस्ताक्षरित एक आवेदन अंतर्गत 320(2) द.प्र.सं. तथा दूसरा आवेदन आपसी राजीनामे हेतु मय फरियादी/आहत की फोटो सहित अंतर्गत धारा 320 द.प्र.सं. का अभियुक्त/गण के विरूद्ध अपराध शमन करने की अनुज्ञा प्रदान करने बाबत् प्रस्तुत किया गया। उभयपक्ष ने उक्त आवेदन पत्र इस आधार पर पेश किया कि उनके मध्य आपसी राजीनामा हो गया है और उनके मध्य अब किसी प्रकार का विवाद शेष नहीं है। उनके संबंध अब मधुर हो गये है। उक्त राजीनामा उभयपक्ष द्वारा स्वेच्छयापूर्वक, बिना किसी दबाव के किया गया है। अतः निवेदन है कि उन्हें राजीनामा की अनुमति प्रदान कर राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रकरण समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त/गण के विरूद्ध **धारा–294, 323, 506 भाग–2 भा.द.सं. 1860** के अधीन दंडनीय अपराध का आरोप उपरोक्त वर्णित धारा का अपराध न्यायालय की अनुमति के बिना आहत व्यक्तियों के विकल्प पर शमन योग्य है। मामले के फरियादी/आहत ने बताया है कि उसने अभियुक्त/गण से स्वयं के प्रति कारित अपराध के संबंध में स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा कर लिया है। फरियादी/आहत का अब अभियुक्त/गण से कोई विवाद अवशेष नहीं रह गया है	किशोर दिनेश धरीसाद

Date of Order or Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders Where necessary

इस कारण वह मामले को अभियुक्त/गण के विरूद्ध आगें नहीं चलाना चाहता हैं।

प्रकरण में फरियादी अपराध का शमन करने के लिए सक्षम है, फरियादी/आहत की पहचान श्री प्रदीप बुन्देला अधिवक्ता द्वारा की गई।

उपरोक्त तथ्यों एवं मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात मामले फरियादी व अभियुक्त/गण द्वारा प्रस्तुत संयुक्त आपसी राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए अभियुक्त/गण **दिनेश एवं हरेसिंह** को फरियादी/आहत के प्रति कारित अपराध **धारा–294, 323, 506 भाग–2 भा.द. सं. 1860** के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त/गण पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्तगण के जमानत व बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है।

प्रकरण परिणाम दर्ज करने एवं समस्त प्रतिपूर्ति उपरान्त समय सीमा के अंदर अभिलेखागार में जमा किया जावें।

सदस्य कं.1

श्री दिनेश कुमार परमार अधि.

पीठासीन अधिकारी

श्रीमती शिखा लोकेश दुबे
खंडपीठ कमांक 11